



















**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—गेहू स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के अम्बाला, भिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी तथा रोहतक (8 ज़िले) ज़िलों में किसान भाईयों को कृषि उपकरणों के अंतर्गत हस्तचालित स्प्रे पम्प पर अनुदान दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25–02–2023 तक कर सकते हैं।

कृषि उपकरणों के अंतर्गत सामान्य श्रेणी, अनुसुचित जाति व अनुसुचित जनजाति के किसानों को 600/- रुपये प्रति स्प्रे पम्प पर अनुदान दिया जाएगा।

<b>District Wise Tentative Physical Financial targets for distribution of Farm Implements &amp; equipments (Manual Sprayers) under NFSM- Wheat Rabi 2022-23 (Assistance @ Rs. 600/ unit.)</b>						
Sr. No	Distt	<b>Total</b>		<b>General Category</b>		<b>SC Category</b>
		Phy. (in Nos.)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in Nos)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in Nos)
1	Ambala	65	0.39	52	0.31	13
2	Bhiwani	75	0.45	60	0.36	15
3	Hisar	75	0.45	60	0.36	15
4	Jhajjar	70	0.42	56	0.34	14
5	Mewat	72	0.43	58	0.35	14
6	Palwal	65	0.39	52	0.31	13
7	Rohtak	70	0.42	56	0.34	14
8	Ch. Dadri	65	0.39	52	0.31	13
	<b>Total</b>	<b>557</b>	<b>3.342</b>	<b>446</b>	<b>2.674</b>	<b>111</b>
						<b>0.668</b>

#### विशेष दिशा निर्देश:—

- एक किसान को अधिकतम 1 स्प्रे पम्प का लाभ दिया जाएगा।
- 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/ सहकारी समीति या अधिकृत विकेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

